CHHATTISGARHS

LIFE SAVERS

Top Hospitals

कवर स्टोरी

चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध हिंसा

मेडिक्लेम पॉलिसी

मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के दौरान किन बातों पर विचार करना चाहिए ?

सम्पादकीय

विश्वस्तरीय चिकित्सा के साथ मरीज़ों का भरोसा जितने में भी कामयाब निजी अस्पताल

निवेश

निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का स्तर काफी कम - नहीं हो पा रहा विस्तार

CIN Central India News

Central India News

*This book is not for sale

एडवांस्ड ट्रॉमा केयर एवं इमरजेंसी

24/7 सी. टी. स्कैन और एम. आर. आई.

15 बिस्तर का एमरजेंसी कक्ष एवं विशेष आई. सी. यू.

अस्पताल के अन्दर ही ब्लड बैंक

आपातकालीन डॉक्टरों की टीम 24/7 उपलब्ध

आपात समय में विश्वसनीय इलाज
हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ

- इमरजेंसी ट्रामा
- सांस लेने में कठिनाई
- विषपान, सर्प दंश
- दुर्घटना
- ब्रेन स्ट्रोक
- सिर की चोट
- हृदयाघात
- खून की उल्टी आना

श्रेष्ठता, विश्वसनीयता और भरोसे का प्रतीक

रामकृष्ण केयर अस्पताल

फोन: 0771-6165656

पचपेड़ी नाका, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)

सम्पादकीय

विश्वस्तरीय चिकित्सा के साथ मरीज़ों का भरोसा जितने में भी कामयाब निजी अस्पताल

स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी का वैश्विक औसत 40 प्रतिशत है, जबकि भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी 70 प्रतिशत तक है। भारत में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर भारी बोझ है। एम्स जैसे संस्थान में एक ऑपरेशन के लिए लंबी-लंबी लाइन लगी रहती है। मरीजों को छह-छह महीने तक का इंतजार कराया जाता है।

ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के आने से राहत मिली है। लोगों को अब गंभीर इलाज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। ट्रांसप्लांटेशन तक की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। निजी क्षेत्र के आने से विश्वस्तरीय तकनीक उपलब्ध हो गई है। लेकिन इन सब चीजों का महत्व तभी तक है, जब तक कि प्राइवेट सेक्टर के प्रति समाज का भरोसा बना रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य के परिपेक्ष्य में अगर चर्चा की जाये तो निश्चित ही निजी अस्पतालों के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारु और अच्छी है। विगत 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतलों ने खुद को विश्वस्तरीय चिकित्सा के अनुरूप खड़ा किया है। इस प्रगति के पूर्व यहाँ के लोगो को अच्छे इलाज़ की तलाश में अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। लेकिन कुछ ही वर्षों में स्तिथि बदल चुकी है। अब छत्तीसगढ़ अपने पडोशी राज्यों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहा है, यह सब यहाँ स्थापित निजी अस्पतालों की बदौलत संभव हुआ है.

यहाँ के निजी अस्पतालों ने न केवल विश्वस्तरीय चिकित्सा मुहैया करवाई है बल्कि मरीज़ों का भरोसा जितने में भी कामयाब साबित हुए हैं. यह किताब इस राज्य में चिकत्सा सुविधाओं को नए आयाम तक ले जाने वाले निजी अस्पतालों को समर्पित है।

आशा है किताब के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों को जानेंगे और उनके ज्वलंत मुद्दों पर भी आपका एक विचार बनेगा।

आपका
इकराम नवी
मैनेजिंग एडीटर
CIN न्यूज़

चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध हिंसा

कवर स्टोरी

इस लेख में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है, साथ ही इसमें भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली और उसकी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। आवश्यकतानुसार, CIN की टीम के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

विगत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध हिंसा के कई मामले सामने आए जिससे चिकित्सा पेशेवरों में आक्रोश फैला और चिकित्सकों ने हड़ताल कर अपना प्रतिरोध जताया। असम के एक अस्पताल में उन्मादी भीड़ द्वारा 73 वर्षीय चिकित्सक की पीट-पीटकर हत्या कर देने का मामला विशेष रूप से क्रूर और देश को झकझोर देने वाला रहा। भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ मारपीट और अस्पताल के उपकरणों को क्षति पहुँचाने की घटनाएँ समय-समय पर सामने आती रही हैं।

SHREE NARAYANA HOSPITAL

Quality Health Care for All..

NABH (ENTRY LEVEL) PRE ACCREDITED

विभाग

आर्थोपेडिक्स

डॉ.सुनील खेमका
एम.एस., एम.सीएच (आर्थो)

डॉ प्रीतम कुमार अग्रवाल
एम.एस., एम.सीएच (आर्थो)

डॉ. अम्बरीश वर्मा
एम.एस. (आर्थो)

स्पाईन सर्जरी

डॉ. मनिन्द्र भूषण
एम.एस. डीएनबी (आर्थो), एफएनबी (स्पाईन सर्जरी)

न्यूरोलॉजी

डॉ. छत्रपाल सिंह साहू
एम.डी. (मेडीसीन),डीएम (न्यूरोलॉजी)

डॉ. अर्पित अग्रवाल
एम.डी. (मेडिसीन),डी.एम. (न्यूरोलॉजी)

न्यूरो-सर्जरी

डॉ रुपेश वर्मा
एम.एस, एम.सीएच (न्यूरो सर्जरी)

कार्डियोलॉजी

डॉ. विनोद अग्रवाल
एम.डी., डीएम (कार्डियोलॉजी)

डॉ.मनोज कुमार गुप्ता
एम.डी., डीएम (कार्डियोलॉजी)

नॉन इनवेसिव कार्डियोलॉजी

डॉ दीपन दास
एम.बी.बी.एस., डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी

कार्डियोथोरासिस एंड वेस्कुलर सर्जरी

डॉ.मनोज कुमार मोहराना
एम.एस. (जन.सर्जरी), एमसीएच (सीटीवीएस)

गैस्ट्रो एंटरोलॉजी

डॉ. मनीष लूनिया
एम.डी., डीएम (गैस्ट्रो)

डॉ. संजय कुमार अग्रवाल
एम.डी., डीएम (गैस्ट्रो)

चेस्ट फिजिसियन

डॉ. अमित असाटी
डीटीसीडी,डीएनबी(रेस्पिरेटोरी मेडिसीन)

नाक, कान, गला

डॉ.संजीव मिश्रा
एम.एस.,(ईएनटी), डीएमबी.

जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी

डॉ. शिरीष यदू
एम.एस. (जन.एंड लैप्रो.सर्जरी) एफ.आई.ए.जी.ई.एस

डॉ. निशांत कुमार
एम.एस. (जन. सर्जरी), एफ.आई.ए.जी.ई.एस,

नेफ्रोलॉजी

डॉ. कृष्णा सोमानी
एम.डी. (मेडिसीन), डी.एम. (नेफ्रोलॉजी)
डीएलएस (जन. एवं लेप्रो. सर्जरी)

यूरोलॉजी

डॉ.संदीप अग्रवाल
एम.एस., डीएनबी (यूरो सर्जरी)

प्लास्टिक सर्जरी

डॉ. निरज पाण्डे
एम.बी.बी.एस., डीएनबी (प्लास्टिक सर्जरी)

इन्टरनल मेडिसिन

डॉ. एस.के. ज्योति
एम.डी. (मेडिसिन)

डॉ. श्याम तिवारी
एम.बी.बी.एस., डीएनबी (इमरजेंसी मेडिसिन)

पिड़ियाट्रिक

डॉ. अंकिता पटेल
एम.डी. (पिडियाट्रिक)

ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकालॉजी

डॉ. मेघा खेमखा
एम.बी.बी.एस., एमबीए

डॉ. संजना खेमखा अग्रवाल
एम.बी.बी.एस., एमडी (ओब्स एंड गायनीक)
फेलोशिप इन रिप्रोडूक्टीव मेडीसीन (इंडियन एंड स्पेन)

डॉ विनया मायस्कर
एम.डी. (ओब्स एंड गायनिक)

डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल

डॉ. गौरव खेमखा
एमडीएस (मैक्सिलोफेशियल सर्जरी)
फेलोशिप ऑन ओरल ऑन्कोलॉजी

डॉ. रुद्राक्षी विजयवार
एमडीएस (प्रोस्थोडोनटिक्स)

ऑपथैल्मोलॉजी

डॉ. कुणाल कुकवास
डीओ (ऑपथैल्मोलॉजी)

क्रिटिकल केयर

डॉ. पंकज ओमर
एम.बी.बी.एस., एमडी, (अनेस्थिसिया) एफपीईएम

डॉ. ए. चन्द्रा राव
एम.बी.बी.एस., डी.ए. (अनेस्थिसिया)

डॉ. स्नेहलता ठाकुर
डी.ए. (अनेस्थिसिया)

इमरजेंसी मेडिसीन

डॉ. अमितेष अग्रवाल
एम.डी. (फिजिशियन), डीईएम, एफआईसीएम)

अनेस्थिसियोलॉजी

डॉ. सी. पी. वट्टी
एम.डी. (अनेस्थिसियोलॉजी) पीडीसीसी (न्यूरो अनेस्थिसिया)

डॉ. सौरभ भांडगे
एम.डी. (न्यूरो अनेस्थिसिया), पीडीसीसी

डॉ. श्याम जी. डांडेकर
(अनेस्थिसिया)
एम.बी.बी.एस., डीए

डॉ. अजित लहरिया
एम.बी.बी.एस., डीए (कॉड्रियक अनेस्थिसिया)

रेडीयोलॉजी

डॉ. वासुदेव अग्रवाल
एमडी (रेडीयोलॉजी

पैथोलॉजी

डॉ. धनंजय प्रसाद एमडी (पैथोलॉजी)

माइक्रोबायोलॉजी

डॉ. सपना थारवानी
एम.डी. (माईक्रोबायोलॉजी)

पता : गंज मंडी के पास, सेक्टर-5 के पीछे देवेन्द्र नगर, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन : 492001
फोन: 0771-2513500/600/700, मोबाईल : 9300373737, ईमेल: info@snh.org.in वेब: www.snh.org.in

स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा - एक गंभीर विषय

भारतीय चिकित्सा संघ (Indian Medical Association-IMA) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश भर के लगभग 75 प्रतिशत डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर हिंसा का सामना किया। भारतीय चिकित्सा संघ (Indian Medical Association-IMA) द्वारा आयोजित एक अन्य सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि 75 प्रतिशत डॉक्टरों ने अपशब्दों की और 12 प्रतिशत ने शारीरिक हिंसा की शिकायत की है। स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हो रही हिंसक वारदातों की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि वर्ष 2017 में दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्थान AIIMS के डॉक्टर्स हिंसा से इतने भयभीत हो गए थे कि रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा उन्हें आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण देना पड़ा था।

आँकड़े दर्शाते हैं कि डॉक्टर्स को हिंसा का सबसे अधिक खतरा आपातकालीन सेवाएँ प्रदान करते समय ही रहता है। इन मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का सार डॉक्टरों, अस्पतालों और उपकरणों की कमी में निहित है। समस्या से निपटने का प्रयास- चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम बीते दिनों प्रदर्शन का केंद्र रहे पश्चिम बंगाल सहित देश के कुल 19 राज्यों ने चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम (Medical Protection Act-MPA) पारित किया हुआ है।

हालाँकि यह अधिनियम व्यावहारिक रूप से डॉक्टरों की रक्षा करने में विफल रहता है, क्योंकि इसे न तो भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) में और न ही दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure-CrPC) में शामिल किया गया है।

अधिनियम के प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही कानूनन दंडनीय अपराध है।
- किसी भी चिकित्सा सेवा संस्थान या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना भी दंडनीय अपराध के रूप में माना जाएगा।
- इसमें अस्पताल के उपकरणों को क्षति पहुँचाना, एंबुलेंस जलाना और मेडिकल स्टोरों को तोड़ना आदि शामिल हैं।
- दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिये कारावास और 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस संदर्भ में कोई भी अपराध संज्ञेय या गैर संज्ञेय है इस बात का निर्णय किये गए अपराध के आधार पर लिया जाएगा।
- किसी भी चिकित्सा उपकरण को नुकसान पहुँचाना एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर अपराधी को क्षतिग्रस्त उपकरण की लागत का दोगुना भुगतान करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

अन्य कानूनी प्रावधान

वर्तमान में भारतीय दंड संहिता, 1860 किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। इसके अलावा संहिता में किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है।

भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की समस्याएँ

संसाधनों की कमी
भारतीय डॉक्टर अत्यधिक मरीज़ों की भीड़, अपर्याप्त कर्मचारियों, दवाओं और बुनियादी ढाँचे की कमी जैसी चिंतनीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। इन सभी के प्रभाव से उनकी कार्यकुशलता में कमी आती है और जीवन रक्षा के कार्य में वे अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान नहीं दे पाते।

अलग कानून की मांग

यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि हमारे पास हिंसा या नुकसान पहुँचाने के संबंध में पहले से ही प्रावधान हैं तो फिर हमें नए प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न के लिये चिकित्सकों द्वारा सदैव यह तर्क दिया जाता है कि जब एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मारपीट की जाती है या उसे निःशक्त किया जाता है अथवा उसकी जान ले ली जाती है तो हिंसा का शिकार केवल स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं होता बल्कि वे रोगी भी होते हैं जिनकी देखभाल उसके द्वारा की जा रही थी। साथ ही इसका असर अन्य लोगों पर भी पड़ता है क्योंकि हिंसा और तोड़फोड़ के कारण तथा इसके प्रतिरोध में पीड़ित कर्मियों द्वारा कार्य बंद करने अथवा चिकित्सकों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा केंद्र का कामकाज बाधित हो जाता है। अतः इस तरह की हिंसा के शिकार कई निर्दोष व्यक्ति हो जाते हैं। यदि किसी रोगी की मौत या उसकी स्थिति बिगड़ने से यह हिंसा भड़कती है तो इस हिंसा के परिणामस्वरूप कई अन्य रोगियों की मृत्यु हो सकती है या उनकी स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ सकती है। इस प्रकार के गंभीर परिणामों से बचने के लिये ही एक अलग कानून की आवश्यकता महसूस की जाती है, ताकि इस तरह के मामलों को जल्द-से-जल्द निपटा दिया जाए और परिस्थितियाँ गंभीर रूप धारण न कर सकें।

कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन

देश में एक ओर आधे से अधिक राज्यों में चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम लागू है, परंतु इसके बावजूद समय-समय पर इस प्रकार की हिंसक घटनाएँ सामने आती रहती हैं। जानकारों के अनुसार, इसका मुख्य कारण यह है कि इन घटनाओं को रोकने के लिये जो नियम-कानून बनाए गए हैं उनका सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।

विश्वास की कमी

डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के साथ ही डॉक्टरों और मरीज़ों के बीच विश्वास की कमी भी धीरे-धीरे चिंता का विषय बनती जा रही है।

निजी संस्थानों की महँगी शिक्षा

भारत में निजी संस्थानों की चिकित्सा शिक्षा की लागत काफी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वहीं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। निजी संस्थानों की अत्यधिक चिकित्सा शिक्षा लागत और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की कमी से देश में डॉक्टरों की कमी का संकट और गहराता जा रहा है।

आगे की राह

चिकित्सकों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि चिकित्सकों और मरीज़ के परिवार वालों के बीच संचार की उचित व्यवस्था की जाए और इलाज के प्रत्येक स्तर पर मरीज़ की स्थिति की सूचना जल्द-से-जल्द उसके परिवार वालों को दी जाए, चाहे मरीज़ की हालत में सुधार हुआ हो या नहीं।

प्राय: चिकित्सकों पर हमला किसी मरीज़ की मौत के बाद ही होता है। मरीज़ की मृत्यु गंभीर स्वास्थ्य विकार के कारण हुई या फिर चिकित्सकों की लापरवाही के कारण, इसका निर्धारण करने के लिये प्रत्येक अस्पताल में एक जाँच टीम का गठन किया जाना चाहिये।

यदि स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं में उपचार के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था की जाए तो यह उन लोगों के लिये काफी लाभदायक साबित हो सकता है जो वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा का भार वहन नहीं कर सकते।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और सरकारी अस्पतालों की क्षमताओं को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

डॉक्टरों पर कार्य का अधिक बोझ

देश में 13000 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि वैश्विक स्तर पर आदर्श अनुपात 1:1000 है। यह आँकड़ा स्पष्ट रूप से देश के डॉक्टरों पर कार्य के अत्यधिक बोझ को दर्शाता है। कभी-कभी डॉक्टरों को 18-18 घंटों तक भी कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण वे कई मनोवैज्ञानिक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं।

निष्कर्ष

भारत में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना नीति निर्माताओं के लिये सदैव ही प्राथमिक विषय रहा है, इसके बावजूद भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में संसाधनों की कमी, डॉक्टरों पर कार्य का अधिक बोझ और कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन जैसी कई समस्याएँ विद्यमान हैं। यदि हम भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो उपर्युक्त समस्याओं को दूर किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये चिकित्सक एवं मरीज़ों के बीच संवेदनात्मक संबंध भी स्थापित करने होंगे, ताकि चिकित्सकों के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं को रोका जा सके।

We salute all frontliners!

CIN

Thanks you for your service and sacrifice during this difficult time.

YOU ARE OUR HEROES

मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के दौरान किन बातों पर विचार करना चाहिए ?

मेडिक्लेम पॉलिसी क्या है ?

आपात चिकित्सा में तैयार रहने और अपनी बचत की रक्षा करने का सबसे अच्छा और सबसे किफायती तरीका है मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी । यह बीमारी, दुर्घटना और या यहां तक कि किसी भी जरूरी सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती और उसके बाद के मेडिकल खर्च का ख्याल रखता है। बीमा कंपनी द्वारा ऑफर किए गए कैशलेस उपचार सुविधा या प्रतिपूर्ति मोड के माध्यम से बिलों का ख्याल रखा जाता है। तो, मेडिक्लेम पॉलिसी में निवेश करना महत्वपूर्ण क्यों है? जवाब सरल है - अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए

जानिये स्वास्थ्य बीमा के बारे में विस्तार से

अध्ययनों से पताचलता है किस्वास्थ्य देखभाल के खर्चमें उछाल केसाथ बढ़ती मुद्रास्फीतिदर के बावजूद, 70% भारतीयों ने अभीतक अस्पताल मेंहोने वाले खर्चोंके खिलाफ किसीभी प्रकार केस्वास्थ्य बीमा कवरका चयन नहींकिया है। यहजानकर आश्चर्य होताहै कि भारतजैसे तेजी सेविकास कर रहेदेश में, लोगअभी भी दुर्घटनाया बीमारियों सेअचानक से उत्पन्नहोने वाली किसीभी वित्तीय आपातस्थिति से निपटनेके लिए उपयुक्तव्यवस्था का प्लानबनाने की जरूरतनहीं समझते।

मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों ?

सरल शब्दों में, यदिआप किसी दुर्घटनाया किसी भीबीमारी के कारणअस्पताल में भर्तीहोते हैं तोमेडिक्लेम पॉलिसी आपकी जमापूंजी की रक्षाके लिए कामआती है। यहआप को नर्सिंग, लॉजिंग और उपचारलागत के लिएकवर करता हैजो पॉलिसी खरीदनेके दौरान आपकेद्वारा चुने गएकवरेज राशि केबराबर है। आपकोजिस कारण/बीमारीके कारण अस्पतालमें भर्ती करायागया था, अस्पतालमें भर्ती होनेसे पहले औरबाद भी, ज्यादातरमेडिक्लेम पॉलिसीयां उपचार केलिए कवर करतीहै| यह समयसीमा, बीमाकर्ता परनिर्भर करती हैऔर विशेष रूपसे अस्पताल मेंभर्ती होने के 30-60 दिनों पहले और 60-120 दिनों के बादके बीच होतीहै।

श्री शंकराचार्य अस्पताल
जुनवानी, भिलाई (छ.ग.) - 490020
DEDICATED TO THE MEMORY OF BELOVED ABHISHEK MISHRA
750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीट का मेडिकल कॉलेज
श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज
हमारी विशेषताएं
CT SCAN
MICU / ICCU
NICU
PICU
SICU
COVID ICU
MRI
X-Ray
MODULAR OT
DIALYSIS ROOM
24 Hrs, Available Facility
• 24 घंटे Ambulance सुविधा।
• 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इलाज।
• नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला, पैथोलॉजी, माइक्रो एवं बायोकेमिस्ट्री Lab
• 24 घंटे एडवांस ICU, ICCU, MICU, SICU, NICU एवं PICU की सुविधा Ventilator Backup के साथ न्यूनतम दरों पर सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध।
• जननी सुक्षा योजना, परिवार कल्याण योजना
• आयुष्मान भारत (Smart Card) सुविधा उपलब्ध
अन्य विशेष सुविधायें
• Cardiology, Angiography Angioplasty Facilities
• Covid Hospital • Plastic Surgery Facility
• RTPCR BSL2 Level lab • 24 hrs Ambulance service
• प्रसव (Delivery) एवं महंगी एवं बच्चेदानी के ऑपरेशन की सुविधा
• Neurosurgery • माइक्रोनीडल एवं हार्निया के ऑपरेशन
• सभी प्रकार के फ्रेक्चर, फिक्चर एवं बवासीर का इलाज
• स्तन (Breast) संबंधी गांठ एवं ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन
• किडनी संबंधी ऑपरेशन, पथरी निकाली में कैंसर आदि
• Emergency एवं Trauma
• सिंकिंग्रिड बर्नरी • हेमोडायलीसिस एवं डायलिसिस
• Private Room की सुविधा उपलब्ध है।
• MRI/CT Scan / ECHO/ EEG/ ECG/TMT/ X-ray/ ENDOSCOPY/ SONOGRAPHY एवं अन्य सुपर स्पेशलिटी जैसे न्यूनतम दरों पर उपलब्ध।
Contact for more detail :
0788-4088866, 4088855, 2298143
ssimsb@ssimsb.ac.in | www.ssimsb.ac.in
Helpline No. : 0788-4088888

मेडिक्लेम पॉलिसी की विशेषताएं और लाभ

- वार्षिक रिन्यूअल किया जा सकता है। कुछ बीमाकर्ता हर 2 या 3 वर्षों में रिन्यूअल ऑफर करते हैं
- वैयक्तिक या परिवार के लिए चुना जा सकता है
- 91 दिनों से 65 वर्ष की आयु के बीच के किसी भी व्यक्ति के लिए है
- 2-4 साल की प्रतीक्षा अवधि के बाद पहले से मौजूद मेडिकल स्थितियों को कवर किया गया है
- किसी भी पेपरवर्क के बिना ऑनलाइन खरीदा जा सकता है
- चुनी गयी बीमाकृत राशि ₹ 50 लाख या उससे अधिक हो सकती है
- रिन्यूअल के समय में विभिन्न बीमाकर्ता को पोर्ट किया जा सकता है
- आपको पूर्ण स्वास्थ्य कवर और अच्छी सेविंग देता है।
- किफायती प्रीमियम पर उच्च कवर प्राप्त करें।
- पर्याप्त मेडिकल सहायता के लिए यह सबसे सस्ता साधन है।
- कैशलेस अस्पताल में भर्ती होना, यह सुनिश्चित करता है कि आपको जेब से अधिक कोई मेडिकल खर्च नहीं करना होता।
- अपने घर बैठ ऑनलाइन खरीदना आसान है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी के तहत भुगतान किए हुए प्रीमियम पर कर कटौती प्राप्त करें।

प्रीमियम निर्धारित कैसे होता है ?

बीमा कंपनियां मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए प्रीमियम निर्धारित करते समय कई पहलुओं पर विचार करती हैं। आयु, बीमाकृत राशि, भौगोलिक स्थिति, कोई पहले से मौजूद मेडिकल स्थिति, बीमाकृत होने वाले सदस्यों की संख्या, कवरेज की सीमा इत्यादि उनमें से कुछ हैं। हालांकि आई.आर.डी.ए.आई द्वारा दिशानिर्देश निर्धारित की जाती है, लेकिन आपकी जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर प्रीमियम गणना के संबंध में अंतिम निर्णय स्वास्थ्य बीमा कंपनियां ही लेती हैं। आपकी जरूरतें जितनी व्यापक होगी, प्रीमियम राशि उतनी ही अधिक होंगी।

मेडिक्लेम पॉलिसी किसे खरीदनी चाहिए?

खैर, जवाब सरल है। कोई भी जो उन भारी अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को जुटा नहीं सकते और संबंधित स्वास्थ्य देखभाल लागत, उनको अच्छे मेडिक्लेम बीमा में निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियमों को ध्यान में रखते हुए, आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ बहुत मूल्यवान होते हैं। माने गए वित्तीय सहायता के साथ,यह मन की शांति प्रदान करता है जिसके लिए इसको महत्व देते है।

DR. NITIN GOEL
MS, DNB-URO

DR. MANOJ LAHOTI
MD, DM-GASTRO

DR. VIVEK KESHARWANI
MS, FIAGES, FALS, FMAS
LAPROSCOPIC & GENERAL SURGEON

Care with Confidence
Suyash Hospital
(A Unit of Suyash Institute of Medical Science Pvt. Ltd.)

SCOPE OF SERVICES

SPECIALITIES
- UROLOGY & URO SURGERY
- GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
- LAPROSCOPIC & GENERAL SURGERY
- CARDIOLOGY & CARDIOTHORACIC SURGERY
- NEUROLOGY & NEURO SURGERY
- ORTHOPEDICS & JOINT REPLACEMENT SURGERY
- TRAUMA & SPINE SURGERY
- MEDICAL ONCOLOGY
- NEPHROLOGY
- OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
- INTERNAL MEDICINE
- DIABETOLOGY
- PULMONOLOGY & CHEST MEDICINE
- MAXILLOFACIAL SURGERY
- ANAESTHESIA & PAIN MANAGEMENT
- DERMATOLOGY
- DENTAL & ORTHODONTICS
- ENT
- IUI FACILITY - INFERTILITY CENTRE
- PHYSIOTHERAPY
- DIETETICS

DIAGNOSTICS
- CATHLAB
- ENDOSCOPY
- COLONOSCOPY

RADIOLOGY
- X RAY
- CT SCAN
- SONOGRAPHY
- COLOUR DROPPLER
- ECHO CARDIOGRAPHY
- EMG
- EEG
- NCV
- PFT

PATHOLOGY
- CLINICAL PATHOLOGY
- HEMATOLOGY
- BIOCHEMISTRY
- SEROLOGY

ESSENTIAL FACILITIES
- INTENSIVE CARE UNIT
- OPERATION THEATER
- EMERGENCY DEPARTMENT
- PRE & POST OP ENDOSCOPY UNIT
- OTHER SERVICES
- C.S.S.D
- C-ARM IMAGE INTENSIFIER
- BLOOD BANK STORAGE CENTRE
- AMBULANCE SERVICES 24 HRS
- HEALTH CHECK UP FACILITIES
- CANTEEN
- LAUNDRY
- MORTUARY
- BASEMENT PARKING

OUT SOURCE SERVICES
- MRI
- BLOOD BANK
- RESEARCH
- MICROBIOLOGY

24/7 **EMERGENCY** +91 99263 86660

KOTA, GUDHIYARI ROAD, RAIPUR (C.G.)
PH: +91 771 2575275, 2572222
www.suyashhospitalraipur.com | suyashhospital.raipur@gmail.com

मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या कवर नहीं है?

जब आपका मेडिक्लेम बीमा अस्पताल में भर्ती और उनसे संबंधित ज्यादातर खर्चों को कवर करेगा, कुछ निश्चित बहिष्करण हैं जो पॉलिसी में कवर नहीं हैं। जो कवर नहीं किया गया है उसकी सूची पॉलिसी दस्तावेज़ का एक अभिन्न हिस्सा बनती है और इसे अधिक जानकारी के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे पहलू हैं जो अधिकांश मेडिक्लेम पॉलिसीयों में कवर नहीं हैं।

- मेडिकल के खर्च में प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, प्रसाधन सामग्री, डायपर, सिरिंज इत्यादि नहीं आते हैं ।
- पॉलिसी खरीद से विशिष्ट समय के भीतर रोग/बीमारियां अनुबंधित है
- दुर्घटना के मामले में दंत चिकित्सा के अलावा
- यौन संचारित रोग और एच.आई.वी
- कॉस्मेटिक सर्जरी, खतना या प्लास्टिक सर्जरी
- टीकाकरण
- शराब, धूम्रपान, नशीली दवाओं के दुरुपयोग इत्यादि की व्यसन के परिणाम में मेडिकल स्थिति
- युद्ध, परमाणु हथियार इत्यादि से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य स्थितियां

मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के दौरान आपको किन बातों पर विचार करना चाहिए?

मेडिक्लेम में निवेश करना एक अच्छा निर्णय है। सभी शामिल कारकों पर विचार करें और उसी प्रकार से सही पॉलिसी का चयन करें। नीचे कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आपको पॉलिसी खरीदने से पहले विचार करने की जरूरत है:

बीमाकृत राशि (कवरेज राशि)

बीमित राशि या कवरेज राशि चुनते समय, सही राशि चुनने के लिए बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत, मुद्रास्फीति की दर इत्यादि जैसे कारकों पर विचार करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, यदि आप मेट्रो शहरों में रह रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अस्पताल में भर्ती की लागत अधिक होती है। उसी प्रकार, यदि आप अपने आश्रितों के लिए कवरेज को चुन रहे हैं, तो आप उच्च बीमाकृत राशि पर विचार करते हैं।

वैयक्तिक या परिवार के फ़्लोटर

यह निर्णय पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। यदि आप अविवाहित हैं और केवल खुद को कवर करना चाह रहे हैं तो आप वैयक्तिक पॉलिसी चुन सकते हैं। तथापि, यदि आप अपने माता-पिता सहित अपने पूरे परिवार के लिए कवर चुनते हैं तो परिवार के फ्लोटर प्लान चुनना आदर्श विकल्प है। बीमा कंपनियों द्वारा ऑफर की गई छूट के कारण परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए खरीदी गई वैयक्तिक पॉलिसीयों की तुलना में परिवार के फ्लोटर प्लान पर खर्च करना कम खर्चीला होता है।

सह भुगतान

कई मेडिक्लेम पॉलिसीयां सह भुगतान के साथ अंतर्निहित हैं। सह-भुगतान मूल रूप से प्रतिशत राशि है, जिसे पॉलिसी धारक को भुगतान करना पड़ता है जब बीमा कंपनी के शेष को निपटाने से पहले ही दावा किया जाता है। यह सह-भुगतान बीमा कंपनी पर निर्भर करती है जो की 10% और 30% के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए: यदि आपने 20% सह-भुगतान के साथ मेडिक्लेम को चुना है, तो आप जब भी दावा करते हैं, आपको कुल दावे राशि का पहले 20% देना होगा और बाकी पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। कुछ बीमा कंपनियां उच्च सह-भुगतान के साथ पहले से मौजूद बीमारियों से जुड़े जोखिमों का कवर भी ऑफर करती हैं।

बहिष्करण

हर मेडिक्लेम पॉलिसी आपके मेडिकल जोखिम को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, कुछ बहिष्करण हैं जो एक विशिष्ट अवधि के बाद या तो कवर किए गए हैं या कवर ही नहीं किए गए हैं। आत्महत्या के प्रयास से उत्पन्न होने वाली स्थितियां, एच.आई.वी संक्रमण, जन्मजात बीमारियां, शराब या नशीली दवाओं के व्यसन आदि किसी भी पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं जबकि मातृत्व, हिस्टरेक्टॉमी, पित्त मूत्राशय सर्जरी, पथरी आदि से संबंधित खर्च एक विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि के बाद कवर किए जाते हैं। ज्यादातर बीमा कंपनियां 2-4 वर्षों के बाद ही किसी भी पहले से मौजूद बीमारियों से संबंधित जोखिम को कवर करती हैं। प्लान के पॉलिसी के शब्दों में इन बहिष्करणों का विवरण उल्लिखित है और अंतिम रूप से खरीदने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

अस्पताल नेटवर्क

मेडिक्लेम पॉलिसी चुनने का सबसे बड़ा लाभ अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्चों के कैशलेस सेटलमेंट की सुविधा है। प्रत्येक बीमा कंपनी के पास अस्पतालों का नेटवर्क होता है और जब आप इनमें से किसी भी अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो आप कैशलेस उपचार के हकदार हैं यदि यह अस्पताल में भर्ती/उपचार कवरेज के स्कोप में है। यह सबसे महत्वपूर्ण समय में एक बहुत बड़े वित्तीय राहत का काम करता है। इसलिए, पता करे अपने क्षेत्र के वह अस्पतालों के बारे में जो उस बीमा कंपनी के साथ मेल-जोल में हैं जिससे आप प्लान खरीदना चाहते हों।

बीमा कंपनी की प्रतिष्ठा

आखिर में महत्वपूर्णयह है कि, विश्वसनीयता की जांचकरना हमेशा एकसमझदारी है औरबीमा कंपनी केस्थायी बाजार जिसे आपमेडिक्लेम खरीदना चाहते हैं।इसके अलावा, उनकेसेटलमेंट रेसियो का एकछोटा अध्ययन भीअंतिम निर्णय लेनेके दौरान उपयोगीसाबित होगा।

कोई भी बीमा एजेंट आपको सही मेडिक्लेम पॉलिसी चुनने में मदद कैसे कर सकता है?

- सुविधाजनक और परेशानी मुक्त आवेदन प्रक्रिया के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर तुलना करना और सही प्लान चुनना।
- आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सही निर्णय के साथ सहायता करने के लिए विशेषज्ञ और निष्पक्ष सलाह।
- विशेषज्ञ दावों के प्रबंधन सहित आपके सभी पोस्ट-बिक्री प्रश्नों से निपटने के लिए समर्पित ग्राहक सेवा इकाई।
- परेशानी मुक्त और सुखद खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम पेपरवर्क।

मेडिक्लेम पॉलिसी पर दावा कैसे करें?

बीमा क्षेत्र में प्रगति के साथ, आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी पर दावा करना काफी सुविधाजनक व परेशानी मुक्त कार्य बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं, आप दो तरीकों से दावा कर सकते हैं - कैशलेस और प्रतिपूर्ति। यदि आप नेटवर्क अस्पताल में कैशलेस उपचार को चुनना चाहते हैं, तो आपको अस्पताल में प्रवेश के समय टी.पी.ए (थर्ड पार्टी के प्रशासक) हेल्प डेस्क से संपर्क करना होगा। कैशलेस उपचार के लिए अनुमोदन मांगने के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ एक दावा फ़ॉर्म जमा करना होगा। यदि अनुरोध स्वीकृत किया गया है, तो बीमा कंपनी/ टी.पी.ए पॉलिसीधारक को शामिल किए बिना अस्पताल के साथ सीधे खर्चों के लिए बिलों को निपटा देती है।

यह आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी पर दावा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। यदि, किसी भी कारण से, आप कैशलेस उपचार नहीं ले पा रहे हैं, तो आप प्रतिपूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं। जब अस्पताल में इलाज की मांग की जाती है और बकाया राशि, डिस्चार्ज सारांश और अन्य सभी संबंधित नुस्खे और डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ दावे का फ़ॉर्म बीमा कंपनी/टी.पी.ए को भेजा जाना चाहिए।

बीमा कंपनी/टी.पी.ए क्लेम सेटलमेंट पर अंतिम निर्णय लेने से पहले पॉलिसी शर्तों के खिलाफ दस्तावेजों की सत्यता की जांच करेगी और पॉलिसी शर्तों की भी जांच करेगी। आम तौर पर, इस प्रक्रिया में लगभग 15-25 बिज़नेस दिन लगते हैं।

24 घंटे आपातलीन सुविधा उपलब्ध

शुभकामना हॉस्पिटल

स्त्री एवं प्रसूति रोग | जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी
मेडिसीन | यूरोलॉजी | क्रिटिकल केयर | डायलिसिस
हड्डी रोग | न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी
कोविड केयर यूनिट

डॉ. प्राची बरनवाल
एम. बी.बी.एस., डी.जी.ओ., एफ.एम.ए.एस, सी.आई.एम.पी.
प्रसूति, स्त्रीरोग एवं नि:संतानता विशेषज्ञ
हिस्ट्रोस्कोपिक एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन

डॉ. राजकुमार बरनवाल
एम. डी. (मेडिसीन)
सलाहकार चिकित्सक

मोवा थाना के पीछे, दुबे कॉलोनी, मेन रोड, मोवा-रायपुर
95226-77577
0771 4912725

निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का स्तर काफी कम - नहीं हो पा रहा विस्तार

वैश्विक महामारी कोविड 19 के बाद से ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी विश्व के कई देशों में महसूस की जा रही हैं। इसके बाद निजी स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में भी अब तेज़ी से निवेश बढ़ने की सम्भावनाये बन रही है। भारत के परिपेक्ष्य में बात की जाये तो इस क्षेत्र में हमें अच्छे और बड़े निवेशकों की आवश्यकता है।

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल के मुताबिक देश में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का स्तर काफी कम है, जिससे इस क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा है। हालांकि उन्होने इसके साथ कहा कि सरकार के द्वारा हाल में घोषित प्रोत्साहनों से देश के समक्ष इस स्थिति को बदलने का अवसर बन रहा है है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे कारोबारियों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को अतिरिक्त कोष, पर्यटन एजेंसियों और गाइड को ऋण तथा वीजा शुल्क माफी जैसी घोषणाएं कीं। सरकार कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में विशेषतौर से बच्चों की चिकित्सा सुविधाओं, बिस्तरों आदि के लिए 23,220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तपोषण उपलब्ध कराएगी।

पॉल ने 'नॉट-फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया' विषय पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विस्तार के लिहाज से निवेश का स्तर काफी कम है। कल जिन प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है उनसे हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस रिपोर्ट में 'नॉट-फॉर प्रॉफिट अस्पतालों के परिचालन मॉडल की जानकारी दी गई है। इसमें ऐसे अस्पतालों पर शोध आधारित निष्कर्ष डाले गए है। बयान में कहा गया है कि मुनाफे के लिए काम करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिये काम नहीं करने वाले एक प्रकार के निस्वार्थ सेवा देने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट वाले अस्पतालों के बारे में विश्वसनीय सूचनाओं का अभाव है।

सरकार ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिये 50 हजार करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस की गयी थी, जिसे देखते हुए सरकार अब इस दिशा में कदम उठा रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां

विश्व की जेनेरिक फार्मेसी के रूप में

- वैश्विक दवा उद्योग में भारत की भागीदारी लगग 10% (मात्रात्मक रूप में) तथा जेनेरिक दवा निर्यात के लिए 20% (मात्रात्मक रूप में) है।
- भारतीय दवा क्षेत्र के लिए देश में कई अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं जैसे- भूमि, श्रम, आवश्यक सामग्री और उपकरणों की कम लागत; अनुकूल घरेलू कानून इत्यादि।

चिकित्सा पर्यटन

- अपेक्षाकृत सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों, स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों जैसे योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि के कारण चिकित्सा पर्यटन भारत के लिए विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत रहा है।
- 2015 तक, चिकित्सा पर्यटन का मूल्य 3 बिलियन अमरीकी डॉलर का था और 2022 तक इसके 9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत से गये स्वास्थ्य देखभाल कर्मी विभिन्न देशों में अपनी सेवाएँ देते हैं।

लागत प्रभावी उपचार

भारत चिकित्सा संबंधी मुद्दों के लिए लागत प्रभावी उपचार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 'जयपुर फुट' को 1968 में राम चंद्र शर्मा द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित किया गया था।

भारत टीकों के अनुसंधान एवं विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। विश्व के 60% से अधिक टीकों का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। भारत में विकसित रोटावैक वैक्सीन नामक एक टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'प्री-क्वालिफाइड' घोषित किया गया है। यह पहली बार हुआ था की जब भारत में पूर्ण रूप से विकसित किसी टीके को यह मान्यता प्रदान की गयी थी। प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में, भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

SMC Heart Institute & IVF Research Centre

VIP Estate, Vidhan Sabha Road, near Ashoka Ratan, opp. BSNL office, Raipur (C.G.)- 492007
Emergency No.:- 8839800123, Ph.:- 0771-2285999
E-mail:- contact@smchospital.in Website:- www.smchospital.in

CARDIOLOGY | CARDIAC SURGERY | OBS & GYNEC

Available Departments, Services and Facilities

Cardiology

Angiography
- Coronary Angiography (Day care Radial Angiography)
- Carotid Angiography

Angioplasty/Stenting
- All Types of Difficult Angioplasties & Bifurcation Angioplasty
- Rotablator Facility for Calicified lesion

Balloon Valvuloplasty
- BMV
- BPV
- BAV
- Coarctation Balloon Dilatation

Pacemaker Implantation
- Temporary and Permanent Pacemaker
- AICD Implantation

Exclusive Rotablator Atherectomy Angioplasty facility in Chhattisgarh

Cardiac Surgery

Adult Cardiac Surgery
- Coronary Artery By-Pass Surgery
- Mitral Valve repair
- Valve Replacement Surgery
- All Type of Difficult Cardiac and Vascular Surgery

Pediatric Cardiac Surgery
- Congenital Corrective Surgery
- Valve Replacement Surgery
- ASD & VSD Surgery

Anaesthesia & Critical Care

- Adult & Pediatric Cardiac Anaesthesia

High Risk Pregnancy Care

OBS & GYNEC Department

- IUI/ IVF/ ICSI (Test Tube Baby)
- Complete infertility Treatment
- High Risk Pregnancy Care
- Pregnancy with Hypertensive, Diabetes, Heart Disease etc.
- Normal and Difficult Cesarean Delivery (LSCS)
- MTP, TT

24 Hour Emergency Services

+ ICU
+ Cardiac ICU
+ IABP/ Ventilator
+ Primary Angioplasty
+ Thrombolysis
+ Dialysis Facility
+ Pharmacy
+ Ambulance Facility

Insurance/TPA Tie-Up with

- CSEB
- ESIC
- MD INDIA TPA for BSP Ex-Employees
- C.G. State Department employees Health Scheme under CGHS Rate
- Aayushman & Sanjeevani Facility Available

Our Centres

SMC BM SHAH CARDIAC CENTRE
Bhilai (Chhattisgarh)
BM Shah Hospital, Shastri Nagar, Bhilai

SMC Life Line Cardiac Centre, Life Line Hospital
Ambikapur (Chhattisgarh)
Near Polytechnic College Ring Road , Ambikapur

Published by

www.centralindia.news